आदेश क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

25/6/15

व अदालत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0–18/2014–15
मैसी पहाड़िन
बनाम
16 आना रैयत, मौजा–इदरी पहाड़
आदेश

प्रस्तुत पी0ए0 वाद सं0–18/2014–15 अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 31/रा0, दिनांक 28.01.2015 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दिनांक 30.01.2015 को प्रारंभ करते हुए मौजा इदरी पहाड़ के 16 आना रैयतों को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई ।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– इदरी पहाड़ के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदिका को सुना। उन्होंने बताया कि मौजा इदरी पहाड़ के पूर्व प्रधान स्व0 सुरजा पहाड़िया थे जो मेरे दादा ससुर थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रही हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– इदरी पहाड़ के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है। उन्होने राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराकर यह प्रतिवेदित किया है कि अंचल तालझारी अंतर्गत मौजा– इदरी पहाड़ एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा इदरी पहाड़ के पूर्व प्रधान स्व0 सुरजा पहाड़िया थे जो मृत है। जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है:–

केशवा मांझी वल्द मैसा (पूर्व प्रधान मृत)
↓
सुरजा पहाड़िया(पूर्व प्रधान मृत)
↓ मैसा पहाड़िया(मृत) | केशवा पहाड़िया(मृत)
↓ (मैसा पहाड़िया(मृत) के) : मैसा पहाड़िया(मृत) | सुरजा पहाड़िया(नावल्द मृत) | चन्दा पहाड़िया(मृत)
मैसा पहाड़िया(मृत) → चॉदी पहाड़िन–पुत्री (सोनमुनी पहाड़ बरहेट अंचल में शादी)
चन्दा पहाड़िया(मृत) → मैसी पहाड़िन (आवेदिका) → सुरजा पहाड़िया(उम्र लगभग 10 वर्ष) नावालिक

उन्होने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदिका पूर्व प्रधान स्व0 सुरजा पहाड़िया का पौत्रवधु है। पूर्व प्रधान स्व0 सुरजा पहाड़िया के मरणोपरान्त उनका पौत्रवधु मैसी पहाड़िन उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य कर रही है तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है।

Scanned with CamScanner

आवेदिका वर्तमान में मौजा इदरी पहाड़ में रहता है। अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा आवेदिका मैसी पहाड़िन, पति स्व0 चन्दा पहाड़िया, सा0 इदरी पहाड़, थाना तालझारी, जिला साहेबगंज को मौजा– इदरी पहाड़ के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका मैसी पहाड़िन, पति स्व0 चन्दा पहाड़िया, सा0 इदरी पहाड़, थाना तालझारी, जिला साहेबगंज को संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– इदरी पहाड़ के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

29/6/15 अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका मैसी पहाड़िन ने कबुलियत दाखिल कर दिया है। अतएव प्रधानी पट्टा निर्गत किया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल.

Scanned with CamScanner